>

Title: Need to ban illegal mining activity in riverbed of the rivers passing through Haryana, Punjab and Uttar Pradesh.

श्री अवतार सिंह भडाना (फ़रीदाबाद): मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कतिपय कंपनियों द्वारा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली नदियों में सुप्रीम कोर्ट की पाबन्दी के बावजूद बड़ी मशीनों से अवैध खनन जारी हैं। इससे क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि तबाह हुई है और उन्हें भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। यह अवैध खनन का धन्धा बड़ी मशीनों पर पाबन्दी के बावजूद निर्विवाद चल रहा है। किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन कंपनियों द्वारा जारी अवैध खनन पर तुंत रोक लगाई जाए और किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए तथा नदियों में आने वाली बाढ़ से किसानों की कृषि भूमि के बचाव हेतु उचित कार्यवाही कर इस प्रकरण पर की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा भी देने की कृपा करें।